पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 31 / 2021
आबिद अली पुत्र श्री हुसैन अली, निवासी वार्ड नं0 40, मौहल्ला इलाहियान, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 03.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 31 / 2021 पर दिनांक 23.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 821—822 दिनांक 23.02.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक 74 दिनांक 25.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शिकायत दूरभाष पर प्राप्त हुई है। वर्तमान मे विभाग के द्वारा जिला रसद अधिकारी की एस0एस0ओ0 आई0डी0 पर सरकारी कर्मचारी की सूची मे आबिद अली का नाम प्रेषित किया गया है। पेंशन धारक की प्रति इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। प्रार्थी को पत्रांक रसद / आर.टी.आई. / 2021 / 66 दिनांक 29.02.2021 से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के पत्रांक 74 दिनांक 25.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शिकायत दूरभाष पर प्राप्त हुई है। वर्तमान मे विभाग के द्वारा जिला रसद अधिकारी की एस0एस0ओ0 आई0डी0 पर सरकारी कर्मचारी की सूची मे आबिद अली का नाम प्रेषित किया गया है। पेंशन धारक की प्रति इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। प्रार्थी को पत्रांक रसद / आर.टी.आई. / 2021 / 66 दिनांक 29.02.2021 से सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं